न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 17/21 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2021/50

अनवान्

1. श्रीमती चन्दा पत्नी सुरज भांबी निवासी बजरगपुरा कोटा हाल सनवाड तह. मावली।

..............प्रार्थीया

बनाम

1. श्री हेमराज दत्तक पिता दला भांबी निवासी विशनपुरा तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री दिलीप वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थीया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 29.11.2024

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा विशनपुरा पटवार हल्का लदानी की आराजी नम्बर 624, 625 किता 2 कुल रकबा 1.1736 हेक्टेयर उक्त वर्णित कृषि आराजी में वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थीया के नाम 18/29 हिस्सा, विपक्षी के नाम 11/29 हिस्सानुसार अंकित हैं।
2. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है परन्तु मुझ प्रार्थीया एवं विपक्षी के मध्य अपने–अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का मौके पर बंटवाडा किया हुआ होकर मैं प्रार्थीया एवं विपक्षी अपने–अपने नाम अंकित हिस्सा भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।
3. यह कि उक्त वर्णित आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से मुझ प्रार्थीया को अपने हिस्सा भूमि को और अधिक विकसित करने हेतु बैंक से ऋण आदि लेने, भूमि का विकास करने, चार दिवारी करने इत्यादि में काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी का मुझ प्रार्थीया एवं विपक्षी के मध्य मौके पर कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली द्वारा कानूनी रूप से बंटवाडा कराया जाना आवश्यक है। इसलिए मुझ प्रार्थीया की ओर से माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. यह कि मुझ प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया [illegible] क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का मौके पर बंटवाडा किया हुआ है और बं[illegible] अनुसार मैं प्रार्थीया वर्षों से अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हो शांतिपूर्वक काश्त [illegible]ती आ रही हूं लेकिन [illegible] अपने परिवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:43:04 IST
Reason: SelfAttested

के सदस्यों के साथ मिलीभगत कर मुझ प्रार्थीया को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक नहीं करने देता है और आये दिन मुझ प्रार्थीया से लडाई झगडा करता है और मेरे हिस्से कब्जे की जमीन पर अनाधिकार रूप से कब्जा करने पर आमादा रहता है और मुझ प्रार्थीया को मेरे हिस्से कब्जे की जमीन पर आवागमन करने में भी व्यवधान पहूंचाता है। मुझ प्रार्थीया द्वारा विपक्षी को ऐसा करने से मना किया जाता है तो विपक्षी मुझ प्रार्थीया के साथ गाली गलोच कर लडाई झगडा करता है और मरने मारने पर उतारू होता है जबकि विपक्षी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थीया विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हूं कि विपक्षी मुझ प्रार्थीया को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य करने देवे, उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ प्रार्थीया के शांतिपूर्वक खेती करने, उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, लडाई झगडा नहीं करे, प्रार्थीया के हिस्से कब्जे की भूमि पर प्रवेश नहीं करें, कब्जा नहीं करे, प्रार्थीया को बेदखल नहीं करे, प्रार्थीया को उसके हिस्से कब्जे की जमीन पर शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे, जब तक उक्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं हो जावे तब तक उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे, मौके एवं रेकार्ड की स्थिति को परिवर्तित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से मुझ प्रार्थीया को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थीया के पक्ष में हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 07.07.2021 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी ने मुझ प्रार्थीया को मेरे कब्जे काश्त की भूमि में कृषि कार्य करने में, उपयोग उपभोग करने में व्यवधान उत्पन्न किया और लडाई झगडा कर मुझ प्रार्थीया की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की और समझाईश करने पर भी नही माना जिससे प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 07.07.2021 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थीया के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी प्रार्थीया को उसके हिस्से कब्जे की भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थीया के शांतिपूर्वक खेती करने, उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, लडाई झगडा नहीं करे, प्रार्थीया को उसके हिस्से कब्जे की भूमि पर शांतिपूर्वक आवागमन करने में किसी प्रकार का व्यवधान या अवरोध पैदा नहीं करे, उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:43:04 IST
Reason: SelfAttested

कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
8. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीया की एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीया अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा विशनपुरा पटवार हल्का लदानी तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 पर दर्ज आराजी नम्बर 624, 625 किता 2 कुल रकबा 1.1736 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया हैं। विपक्षी सं. 1 वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार हैं। सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। विपक्षी सं. 1 सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी सं. 1 के पक्ष में प्रतीत होता हैं तथा साथ ही विपक्षी सं. 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से विपक्षी सं. 1 को अपूरणीय क्षति हो सकती हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया द्वारा वाद बंटवाडे का पेश किया गया था जिसको स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी हैं। वर्तमान में विपक्षी सं. 1 हिस्सेनुसार रेकार्डेड खातेदार हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीयां के विरूद्ध निर्णित किये गये है। ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित नहीं हैं। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.11.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:43:04 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT)मावली